फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

धुव बनाम **सोहनलाल**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 160 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
18.07.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 624/624 के खसरा संख्या 100/1 की कुल 3.3070हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश भूमि पैमाईश व खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
29/9/2022	वकील सायल उपस्थित। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु Not Press किया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः वकील सायल द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रकरण में Not Press किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	नोटिस No object (हस्ताक्षर) 29/9/22

Scanned with CamScanner